राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्

(तृतीय तल, बी–ब्लॉक, योजना भवन, सी–स्कीम, जयपुर, फोन : 5188112, 2229386 फैक्स न.–2229894)

प.1(6)ग्रावि/आरजीएवीपी/2012 दिनांक 9.7.2012

पीएफटी मैनेजर/कॉर्डीनेटर के पद हेतु वाक–इन–इंटरव्यू

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् द्वारा संचालित आरआरएलपी परियोजना के अन्तर्गत 10 जिलों– चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, कोटा, राजसमन्द, उदयपुर, बांसवाडा, बारां, टोंक एवं भीलवाड़ा जिलों हेतु ब्लॉक स्तर पर पीएफटी मैनेजर/कॉर्डीनेटर के पद पर विशेष चयन के माध्यम से राजकीय सेवा/सरकारी उपक्रम/निगम/बोर्ड इत्यादि से प्रतिनियुक्ति (Deputation) के आधार पर चयन हेतु वाक–इन–इंटरव्यू दिनांक 12.7.2012 को अपरान्ह 2.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में आयोजित किये जावेगें। अतः इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र एवं समस्त मूल दस्तावेजों सहित दिनांक 12.7.2012 को कार्यालय में उपस्थित होवें। वाक–इन–इंटरव्यू के लिये अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। विस्तृत जानकारी परिषद् की वेबसाईट www.rgavp.org पर उपलब्ध है।

स्टेट मिशन डायरेक्टर,
आजीविका परियोजनाऐं एवं स्वयं
सहायता समूह

आवेदन पत्र का प्रारूप

आरजीएवीपी में ..... के पद पर प्रतिनियुक्ति पर चयन हेतु प्रार्थना पत्र

1. आवेदक का नाम :–.....
2. पिता / पति का नाम :– .....
3. वर्तमान पता :–.....
   ..... मय दूरभाष / मोबाईल नं. .....
4. स्थायी पता :– .....
   .....
5. जन्म तिथि एवं दिनांक ..... को आयु .....
6. गृह जिला .....
7. शैक्षणिक योग्यता :–

डिग्री डिप्लोमा का विवरण	वर्ष	विश्वविद्यालय	प्राप्ताकों का प्रतिशत

8. कम्प्यूटर सम्बन्धित योग्यता :– .....
9. सेवा का नाम जिससे सम्बन्धित हो :– .....
10. पद जिसके लिये आवेदन किया गया है :– .....
11. पैत्रिक विभाग में पद तथा वेतनमान मय ग्रेड–पे :– .....
12. राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा विभिन्न पदों पर पदस्थापन का विवरण :–

क्र. सं.	दिनांक.....से .....तक	पदनाम	विभाग / कार्यालय	वेतनमान	विशेष विवरण

13. वर्तमान पद एवं विभाग / कार्यालय का विवरण :– .....
14. वर्तमान वेतनमान व वेतन .....
15. वर्तमान पद की पदोन्नति का वर्ष एवं तिथि :–.....
16. ग्रामीण विकास कार्यो के अनुभव का विवरण '–.....
    .....
17. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं में कार्य अनुभव का विवरण :– .....
18. पदस्थापन का इच्छित जिला .....

आवेदक के हस्ताक्षर

पैतृक विभाग की सिफारिश

19. प्रार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच, प्राथमिक जांच, आपराधिक आरोप लम्बित नहीं है।
20. राजकीय कोष के संबंध में आवेदक कभी भी आपराधिक कार्यवाही, वित्तीय अनियमितताओं में विभागीय जांच, राजकोष के गबन के संबंध में कभी भी सजा नहीं दी गई।
21. सर्विस रिकार्ड के आधार पर पिछले सात वर्षो से आवेदक की सेवा न्यूनतम संतोषप्रद रही है।
22. आवेदक नियमित नियुक्ति के आधार पर नियुक्त है। ग्रामीण विकास विभाग में नियुक्ति के दौरान आवेदक की सेवा में लियन अपने पैतृक विभाग/ संस्था में रहेगा।
23. ग्रामीण विकास विभाग (आर.आर.एल.पी.) द्वारा यदि वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र कार्मिक विभाग से मांगे जाये, तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं करेगा।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम